3. सिफारिशें

I. *रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय एवं क्षेत्रीय रेलों (जेआर) के मुख्य चिकित्सा निदेशकों (सीएमडीज़) को लाभार्थियों/रोगियों की संख्या को ध्यान में रखकर बजट बनाने की प्रक्रिया तथा अस्पतालों की बुनियादी आवश्यकताओं को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। बेहतर चिकित्सा सुविधायें देने हेतु पूँजीगत व्यय, विशेषत: मेडिकल उपकरणों के संबंध में निधि के आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि गैर-रेलवे अस्पतालों में रिफरेंस को कम किया जा सके;*

II. *रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय को विशेषज्ञों को हायर करने, ठेके पर चिकित्सकों को रखने पर निर्भरता के बजाए डाक्टरों/पैरामेडिकल संवर्ग में मौजूदा रिक्तियों को भरने की प्राथमिकता देनी चाहिए। उपलब्ध संसाधनों को क्षेत्रीय रेलों के सीएमडीज़ द्वारा अस्पतालों में उपचार किए जा रहे रोगियों की संख्या एवं बेड क्षमता के आधार पर समानुपातिक तैनाती की जानी चाहिए। रेलवे बोर्ड को नियमित आधार पर विशेषज्ञ की भर्ती के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है;*

III. *रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय को केंद्रीकृत खरीद की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना चाहिए एवं उच्च दरों पर दवाओं की स्थानीय खरीद पर निर्भरता कम करने के लिए दवाओं की एक एकरूप पीएसी सूची अपनानी चाहिए;*

IV. रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय को एवं क्षेत्रीय रेलों के सीएमडीज़ को सब स्टैंडर्ड दवाओं की आपूर्ति की प्रवृत्ति को रोकने हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर दवा विश्लेषण सुनिश्चित करना चाहिए;

V. रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय को अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन में प्रगति करने की आवश्यकता है ताकि व्यक्तिवार लाभार्थियों का फोटोग्राफ के साथ चिकित्सा पहचान-पत्र बनाया जा सके तथा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हिस्ट्री फोल्डर बनाया जा सके;

VI. रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय एवं क्षेत्रीय रेलों के सीएमडीज़ को अंतरंग रोगियों से वसूलीयोग्य आहार प्रभारों का आवधिक संशोधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पैकेज दरों पर उपचार हेतु गैर-रेलवे अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन में आहार प्रभारों से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं; और

VII. रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय एवं क्षेत्रीय रेलों के सीएमडीज़ क्षेत्रीय रेलों के सभी अस्पतालों में समुचित बायोमेडिकल अपशिष्ट निराकरण सुविधायें प्रदान करें।